कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्यालय पता : वन भवन, तृतीय तल, 85–राजपुर रोड़, देहरादून, ☎0135–2740391, 2740396 ईमेल–ccfhrd-forest-uk@nic.in

वनादेश सं0 77 **/1–13(13) एच0आर0डी0, देहरादून दिनांक,** 6 **,फरवरी, 2024.**

पदोन्नति आदेश

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड कार्यालय के पत्रांक **179/1–13 दिनांक 25–07–2023** द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 02–12–2023 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित **वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू0 47600–151100 लेवल–8 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू0 56100–177500 लेवल–10 के पद** पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति की जाती है :–

क्र0 सं0	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं
1	2	3
1	श्रीमती मुन्नी रावत	प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार
2	श्री प्रमोद काण्डपाल	अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन हल्द्वानी
3	श्रीमती गंगा रावत	वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी

1. वर्तमान में उक्त पदोन्नत कार्मिक वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही योगदान देंगे। इनकी नवीन तैनाती आदेश इनके योगदान सूचना प्राप्त होने के उपरान्त पृथक से जारी किये जायेंगे।

2. पदोन्नति कार्मिक द्वारा अपनी पदोन्नति का परित्याग किया जाता है, तो उक्त कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।

3. संबंधित अधिकारी पदोन्नति आदेश होने की तिथि के 10 दिन के अन्तर्गत अपनी पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति स्थल पर योगदान नही दिया जाता है तो संबंधित कार्मिक का **पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति कर दी जायेगी।**

4. नियंत्रक अधिकारी संबंधित कार्मिक के पदोन्नति पद पद योगदान की सूचना तत्काल इस कार्यालय व प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को **अधिकारी के अवमुक्त/योगदान के तत्काल पश्चात अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।**

5 वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम–22(ए)(1) एवं 22–बी(1) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी तिथि विकल्प दिये जाने हेतु इस आदेश निर्गमन की तिथि से 01 माह की समय–सीमा सरकारी सेवक को उपलब्ध होगी और एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा।

यह आदेश प्रमुख वन संरक्षक, HoFF के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

E.C. आ0का0अ0

06/02/24

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक

पत्र सं0 1459 **(1)/ 1–13(13) H.R.D. तद्दिनांकित्।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक।
2. आदेश में अंकित संबंधित कार्यालय।
3. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. संबंधित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
5. मु0व0सं0,अनुश्रवण,मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. मुख्य वैयक्तिक अधिकारी, प्रमुख वन संरक्षक,HoFF को प्रमुख वन संरक्षक,HoFF महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

CC 8.2.2024

06/02/24

(निशान्त वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक